कार्यालय संयुक्त विकास आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।

पत्रांक /पि0व0क0/2020–21 दिनांक 05 फरवरी,2021

प्रधानाचार्य,/प्राचार्य/निदेशक,
समस्त शिक्षण संस्थाएं,
प्रयागराज मण्डल,प्रयागराज।

विषयः–वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020–21 में समस्त वर्ग के दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर शिक्षण संस्था के लागिन एवं जनपदीय अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित होने वाले छात्रों के सस्पेक्ट डाटा को सम्बन्धित छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन शुद्ध/त्रुटिरहित करने के सम्बन्ध में।

वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020–21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत आवेदन करने से लेकर वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु समय–सारिणी शासन द्वारा निर्गत है, जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

1– छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षाफल/दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared आप्शन चुनते हुए आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा संदेहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि दिनांक 01.02.2021 से 10.02.2021 तक अनिवार्य रूप से परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जाएगा।

2– संस्था द्वारा छात्र का आवेदन प्राप्त करते समय यदि कोई त्रुटि प्रदर्शित होती है तो संस्था छात्र का आवेदन आनलाइन वापस कर सकेगी तथा छात्र द्वारा ऐसे आवेदन को सही कराके पुनः निर्धारित अवधि के भीतर संस्था द्वारा अग्रसारित करना अनिवार्य होगा।

उक्त अवधि के अन्दर सम्बन्धित छात्र/छात्रा के लागिन पर उपलब्ध संदेहास्पद डाटा का अनिवार्य रूप से आनलाइन ही सुधार/निराकरण कराकर छात्रों द्वारा शिक्षण संस्थान स्तर पर दिनांक 10.02.2021 तक आनलाइन अग्रसारण किया जाना है एवं सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा संस्था के लागिन पर सुधार किये गये संदेहास्पद डाटा को दिनांक 13.02.2021 तक डिजिटली आनलाइन अग्रसारण किया जाना है तथा छात्रों द्वारा त्रुटिरहित किये गये आवेदन पत्रों को शिक्षण संस्थान को विलम्बतम 20.02.2021 तक सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी को साक्ष्य सहित उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। उक्त अवधि के उपरान्त समस्त शेष संदेहास्पद डाटा (त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र) आनलाइन सुधार के अभाव में स्वयं निरस्त माने जाएंगे।

अतः निर्देशित किया जाता है कि कृपया उपरोक्तानुसार समयबद्ध कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(डा0अवधेश कुमार बाजपेयी)
संयुक्त विकास आयुक्त,
प्रयागराज मण्डल,प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या 81 /तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण/समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज, मण्डल।
3–कुल सचिव, इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय/प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय,प्रयागराज
4– क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/संयुक्त शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, प्रयागराज मण्डल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
5– समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, प्रयागराज मण्डल को अनुपालनार्थ।
6– जिला सूचना अधिकारी, प्रयागराज को इस 10 प्रतियों में इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया जनपद के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संयुक्त विकास आयुक्त,
प्रयागराज मण्डल,प्रयागराज।

Scanned by CamScanner